

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (4) सा.प्र./ग्रुप-4/13

जयपुर, दिनांक 31-12-13

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 5.17 लाख (अक्षरे पांच लाख सत्तरह हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदया की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं.	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	एफ-88 गांधीनगर	1.ए.सी. शेड 2.किचन रिनोवेशन 3.टाईलेट रिनोवेशन	0.23 0.15 0.11	0.49
2	एफ-135 गांधीनगर	1.ए.सी.शेड 2.एम.एस.डोर 3.सैक्शन विन्डो	0.23 0.08 0.04	0.35
3	एफ-140 गांधीनगर	1.टाईल फर्श 2.सैक्शन विन्डो	0.42 0.04	0.46
4	एफ-141 गांधीनगर	1.टाईल फर्श 2.ए.सी.शीट	0.19 0.30	0.49
5	एफ-409 गांधीनगर	2.ए.सी. शेड	0.23	0.23
6	एफ-424 गांधीनगर	1.सैक्शन विन्डो 2.एम.एस.डोर 3.टाईल फर्श 4.कोटास्टोन फर्श	0.14 0.05 0.29 0.02	0.50
7	एफ-441 गांधीनगर	1.टॉयलेट रिनोवेशन 2.टॉईल फर्श 3.स्टील (एम.एस. डोर)	0.15 0.23 0.10	0.48
8	एफ-720 गांधीनगर	1.बाथ रिनोवेशन 2.कार शेड	0.20 0.29	0.49
9	एफ-980 गांधीनगर	1.बाथ रिनोवेशन 2.मैट टाईल्स	0.20 0.28	0.48
10	4/11 गांधीनगर	1.वुडन डोर 2.बाथ रिनोवेशन	0.09 0.10	0.19
11	4/18 गांधीनगर	1.रफकोटा स्टोन फर्श	0.27	0.27
12	4/73 गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.मैट टाईल्स फर्श	0.24 0.24	0.48
13	4/79 गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन	0.26	0.26
		कुल योग रुपये		5.17

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी व उनके समकक्ष अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्ना) में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा ।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे। समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

Sd

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिशाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (क)